

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प मालोठ)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

पीठासीन अधिकारी-

मिसल संख्या:- 487/2021

-:आदेश:-

दिनांक 01-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत मालोठ व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम मालोठ पटवार मण्डल मालोठ की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 25 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मालोठ	25	औमप्रकाश पुत्र प्रबला उर्फ प्रभू	औमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 218-19

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी औमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल केमवाल ठिवादी मालोठ को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज0)
दिनांक :- 01-11-2021



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज0)